

टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं एक अन्य

24 फरवरी, 1967

[एम. हिदायतुल्ला, जे. एम. शेलत तथा जी. के. मित्तेर, न्यायमूर्तिगण]

*भारत का संविधान, अनुच्छेद 226—उच्च न्यायालय की शक्ति के प्रयोग के सिद्धांत—
जब वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हों, तब उनका अस्तित्व बाधा नहीं*

अपीलकर्ता कंपनी बिहार राज्य में ट्रक, बस चेसिस आदि का निर्माण करती थी। निर्मित कुछ वस्तुएँ बिहार के बाहर विभिन्न राज्यों में कंपनी द्वारा संचालित भंडार-गृहों (स्टॉकयाड्स) को भेजी गईं। कंपनी के अनुसार, उक्त भंडार-गृहों में रखी गई वस्तुएँ किसी अनुबंध के लिए विनियोजित नहीं की गई थीं और वे कंपनी की ही संपत्ति बनी रहीं। अतः जमशेदपुर के सहायक वाणिज्य कर आयुक्त के समक्ष बिक्री कर के निर्धारण की कार्यवाही में कंपनी ने यह प्रतिवाद किया कि न तो बिहार बिक्री कर अधिनियम और न ही केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत उन भंडार-गृहों में रखी वस्तुओं पर कर देय है। सहायक आयुक्त ने इस प्रतिवाद को अस्वीकार करते हुए ₹1,73,84,273 कर के रूप में माँगा। इसके पश्चात कंपनी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कर प्राधिकारी के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए राहत देने से इंकार कर दिया कि कर संबंधी विधि के अंतर्गत पर्याप्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध थे और उनका उपयोग नहीं किया गया था, तथा याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया। विशेष अनुमति प्राप्त कर कंपनी ने अपील दायर की।

अभिनिर्धारित: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सामान्य विधिक उपचारों का विकल्प नहीं हो सकता। न ही यह अपेक्षित है कि जहाँ तथ्यों का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना हो, वहाँ इस अधिकार का प्रयोग किया जाए। किंतु इसके अपवाद भी हैं। ऐसा ही एक अपवाद वह स्थिति है, जब किसी अवैध विधि के अंतर्गत या विधि के अनुमोदन के बिना मनमाने ढंग से कार्रवाई की जा रही हो। ऐसे मामले में, जहाँ अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त त्वरित और अधिक प्रभावी उपाय के अभाव

में किसी पक्ष को कठिनाई होना अवश्यभावी हो, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। चूँकि वर्तमान मामले में अपीलों के निस्तारण के लिए, कम से कम आंशिक रूप से, कर का भुगतान आवश्यक था, उच्च न्यायालय को इस मामले में क्षेत्राधिकार ग्रहण कर यह देखना चाहिए था कि सहायक आयुक्त का क्या कहना है। [755 ई-जी, 756 सी-डी]

ठांसिंह बनाम कर अधीक्षक [1964] 6 एस.सी.आर. 654 तथा *हिम्मतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य* [1954] एस.सी.आर. 1122, संदर्भित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1966 की दीवानी अपील संख्या 1604

पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 252 सन् 1966 में 20 अप्रैल, 1966 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील।

एन. ए. पालखीवाला, एस. पी. मेहता, रविंदर नारायण तथा ओ. सी. माथुर, अपीलकर्ता की ओर से।

निरंजन डे, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल, तथा यू. पी. सिंह, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय *हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति* द्वारा दिया गया—

अपीलकर्ता एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा मर्सिडीज-बैज ट्रक, बस चेसिस, उनके स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करती है, जो बिहार राज्य में स्थित है, और इन्हें भारत सरकार, राज्य सरकारों, राज्य परिवहन निगमों तथा अन्य को बेचा जाता है। अपने व्यवसाय के संचालन के दौरान अपीलकर्ता कंपनी अपने उत्पादों को, विशेष रूप से ट्रकों और बस चेसिस को, भारत के विभिन्न भागों में स्थित डीलरों को बेचती है और ये डीलर आगे इन्हें पूरे भारत में उपभोक्ताओं को पुनः बेचते हैं। अपीलकर्ता कंपनी के अनुसार, भारतीय बाजार में उसकी बिक्री तीन प्रकार की होती है :—

(क) बिहार राज्य के भीतर की गई बिक्री;

(ख) अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में की गई बिक्री; तथा

(ग) बिहार के बाहर स्थित राज्यों में उनके स्टॉकयार्डों से की गई बिक्री।

वर्तमान अपील तीसरी श्रेणी की बिक्री से संबंधित है और प्रश्न निम्नलिखित

परिस्थितियों में उत्पन्न होता है।

अपीलकर्ता कंपनी ने 30 जून, 1965 को समाप्त तिमाही के लिए बिहार बिक्री कर अधिनियम तथा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत क्रमशः विवरणियां दाखिल की, जिसमें पहले मामले में बिहार राज्य के भीतर उपभोक्ताओं को की गई बिक्री तथा दूसरे मामले में अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में की गई बिक्री सम्मिलित थी, और ऐसी बिक्री पर देय संपूर्ण कर का भुगतान किया। अपीलकर्ता कंपनी ने अपने किसी भी विवरणी में अपने स्टॉकयार्डों से की गई बिक्री को सम्मिलित नहीं किया।

12 नवंबर, 1965 को सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जमशेदपुर ने अपीलकर्ता कंपनी को नोटिस (संख्या 11284) भेजा, जिसमें यह सूचित किया गया कि विवरणियाँ सही प्रतीत नहीं होतीं क्योंकि सभी बिक्री सम्मिलित नहीं की गई थीं, और अपीलकर्ता कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह सभी बिक्री को सम्मिलित करते हुए संशोधित विवरणियाँ दाखिल करे तथा भविष्य में दाखिल की जाने वाली सभी विवरणियों में भी ऐसा ही करे। अपीलकर्ता कंपनी ने यह आपत्ति की कि अन्य राज्यों में स्थित उसके स्टॉकयार्डों से की गई बिक्री न तो बिहार राज्य में की गई बिक्री थी और न ही अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में की गई बिक्री थी और इसलिए वे बिहार में करयोग्य नहीं थीं। इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया और 30 जून तथा 30 सितंबर, 1965 को समाप्त तिमाहियों के लिए संशोधित विवरणियाँ दाखिल करने का आदेश दिया गया। अपीलकर्ता कंपनी ने अपनी आपत्तियों को सुरक्षित रखते हुए विरोधस्वरूप संशोधित विवरणियां दाखिल की। उसी समय अपीलकर्ता कंपनी ने अपने स्टॉकयार्डों से की गई बिक्री की संपूर्ण प्रक्रिया का खुलासा किया और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 4(2) पर भरोसा किया, जिससे ऐसी बिक्री को अपवर्जित किया जा सके। अपीलकर्ता कंपनी ने यह भी पूछा कि क्या ये बिक्री बिहार बिक्री कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बिहार में की गई बिक्री मानी जाएँ या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गई बिक्री मानी जाएँ; किंतु बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत कोई उत्तर नहीं दिया गया। अपीलकर्ता कंपनी ने आगे अपने ग्राहकों, जो पंजीकृत डीलर भी थे, से घोषणाएँ प्रस्तुत करने का अवसर माँगा, ताकि छूट का दावा किया जा सके, परंतु यह अवसर भी अस्वीकार कर दिया गया। अपीलकर्ता कंपनी ने छह माह की अवधि के लिए किए गए आकलन पर आपत्ति की और यह दावा किया कि कर विधि के अंतर्गत यह कर वार्षिक रूप से लागू होने के लिए अभिप्रेत था, न कि किसी प्रभाव के बिना अनिवार्य रूप से लागू होने के लिए। तदनुसार, बाध्यतापूर्वक

दाखिल की गई संशोधित विवरणियों के अनुसार बिक्री का विभाजन इस प्रकार था: कुल सकल टर्नओवर 33,99,23,595 रुपये था। अपीलकर्ता कंपनी ने (क) अन्य राज्यों में स्थित अपने स्टॉकयाडों से की गई बिक्री (15,09,24,204 रुपये); (ख) निर्यात के क्रम में की गई बिक्री (34,83,671 रुपये); तथा (ग) बिहार में की गई बिक्री, जिन पर बिहार बिक्री कर देय था (3,64,79,209 रुपये), की कटौती का दावा किया। शेष 14,90,36,510 रुपये, अपीलकर्ता कंपनी के अनुसार, पंजीकृत डीलरों को की गई बिक्री (14,33,02,855 रुपये), जिन पर 2% कर देय था, तथा अपंजीकृत डीलरों को की गई बिक्री, जिन पर 10% कर देय था, से संबंधित थे। 1 अप्रैल, 1965 से 30 सितंबर, 1965 की अवधि के लिए कर की गणना 34,05,028 रुपये की गई। अपीलकर्ता कंपनी ने बताया कि उसने इसके विरुद्ध 34,45,699 रुपये कर के रूप में सरकारी कोष में जमा कर दिए थे और आगे किसी देयता से इनकार किया।

सहायक आयुक्त ने स्थगन के अनुरोधों को ठुकराते हुए अपीलकर्ता कंपनी का आकलन आगे बढ़ाया। दो तिमाहियों के लिए सकल टर्नओवर 35,13,60,725 रुपये निर्धारित किया गया। 1,14,37,129 रुपये का अंतर इस कारण उत्पन्न हुआ कि अन्य राज्यों में की गई बिक्री को भी कर योग्य माना गया। बिहार में की गई बिक्री (3,64,79,209 रुपये) तथा निर्यात के क्रम में की गई बिक्री (34,83,671 रुपये) को घटाने के बाद शेष 31,13,97,844 रुपये करयोग्य ठहरे और विभिन्न दरों पर कर लगाया गया। 12,94,81,387 रुपये, जो पंजीकृत डीलरों से प्राप्त प्रपत्र 'सी' और 'डी' के अंतर्गत थे, पर 2% कर लगाया गया और शेष 16,23,61,334 रुपये पर, साथ ही ऊपर उल्लिखित 1,14,37,129 रुपये पर, 10% कर लगाया गया। कुल कर 2,07,81,273 रुपये निर्धारित किया गया, जिसमें से पहले से अदा किए गए कर को घटाने के पश्चात् 1,73,84,273 रुपये की मांग की गई। आकलन आदेश 1 मार्च, 1966 को पारित किया गया और कर की बकाया राशि 15 मार्च, 1966 को या उससे पूर्व देय की गई। भुगतान के लिए समय बढ़ाकर 21 मार्च, 1966 तक कर दिया गया।

अपीलकर्ता कंपनी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय में निर्देशों, आदेशों अथवा रिट (जिसमें उत्प्रेषण प्रकृति की रिट भी सम्मिलित हैं) जारी करने हेतु याचिका दायर की, जिसमें अभिलेखों को तलब करने तथा सहायक आयुक्त द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त याचिका के माध्यम से स्टॉकयाड विवरणों के संबंध में निर्धारण करने एवं कर की मांग उठाने के लिए सहायक आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी गई। प्रस्तुत किए गए आधारों के अनुसार,

निम्नलिखित अधिकार-क्षेत्र संबंधी प्रश्न उठाए गए :

“(क) याचिकाकर्ता के विरुद्ध दो तिमाहियों के लिए किया गया आकलन अवैध है, क्योंकि केंद्रीय बिक्री कर एक वार्षिक कर है।

(ख) उत्तरदाता संख्या 1 ने अभिलेख पर उपलब्ध प्रबल साक्ष्यों के विपरीत, साक्ष्यों की गलत व्याख्या करके बाहरी बिक्री पर कर लगाने का क्षेत्राधिकार ग्रहण करने में त्रुटि की है।

(ग) * * * * *

(घ) * * * * *

(ङ) उत्तरदाता संख्या 1 यह समझने में विफल रहा कि विधि में बिक्री केवल उसी स्टॉकयार्ड पर होती है जहाँ वाहन किसी विशिष्ट अनुबंध के लिए विनियोजित किया गया हो, और यह कि ऐसी बिक्री से वाहन का अंतर-राज्यीय आवागमन नहीं होता।

(च) उत्तरदाता संख्या 1 ने संविदा अधिनियम की धारा 84 पर निर्भर किया, जबकि वह 1930 में निरस्त हो चुकी थी, और इस प्रकार विधि के गलत प्रावधान को लागू करने में त्रुटि की।

(छ) * * * * *

याचिका 20 अप्रैल, 1966 को नरसिंहम, मुख्य न्यायाधीश, तथा अहमद, न्यायाधीश, के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई और प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार है—

“याचिकाकर्ता ने बिक्री कर अधिनियम में अपील, पुनरीक्षण या संदर्भ के माध्यम से प्रदत्त आंतरिक उपचारों का उपभोग नहीं किया है और न ही इस न्यायालय के समक्ष वाद का कथन प्रस्तुत किया है।

हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा अपनी असाधारण क्षेत्राधिकार शक्ति का प्रयोग किया जाए। याचिका संक्षेप में खारिज की जाती है।”

हस्ताक्षरित/- आर. एल. नरसिंहम

हस्ताक्षरित/- अनवर अहमद”

इसके पश्चात इस न्यायालय में अपील की अनुमति हेतु आवेदन किया गया। उच्च न्यायालय ने यह इंगित किया कि आकलन आदेश के विरुद्ध अपील, आकलित कर की 20% राशि के भुगतान पर संभव है। चूँकि आकलित राशि 40,00,000 रुपये थी और उसमें से 33,97,000 रुपये पहले ही अदा किए जा चुके थे, उच्च न्यायालय ने यह माना कि कंपनी को पहले अपील दायर करनी चाहिए थी, क्योंकि शेष राशि (6,03,000 रुपये) का भुगतान अपीलकर्ता कंपनी की क्षमता के भीतर था और इतना दुष्कर नहीं था कि उच्च न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों के माध्यम से हस्तक्षेप करे। तदनुसार अपील की अनुमति हेतु आवेदन खारिज कर दिया गया। तथापि, अपीलकर्ता कंपनी ने इस न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त की और तदनुसार यह अपील दायर की गई।

सहायक आयुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि अपीलकर्ता कंपनी को सुना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने कर विधियों के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों—यथा अपील और पुनरीक्षण—का उपभोग नहीं किया था और अंततः उच्च न्यायालय के परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं किया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के समर्थन में *ठांसिंह बनाम कर अधीक्षक*⁽¹⁾ के निर्णय पर भी भरोसा किया।

यह प्रारंभिक आपत्ति वस्तुतः अपीलकर्ता कंपनी द्वारा इस अपील में उठाए जाने वाले बिंदुओं को पहले ही परखने का प्रयास मात्र है। चाहे विषय को अपील के दृष्टिकोण से देखा जाए या हमारे समक्ष उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के दृष्टिकोण से, प्रश्न वही है—कि क्या उच्च न्यायालय ने इस मामले में क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया, और यदि किया, तो क्या उसने अनुच्छेद 226 के शासनकारी किसी स्थापित सिद्धांत से विचलन किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार इस न्यायालय द्वारा विस्तार से प्रतिपादित किए गए हैं। यह क्षेत्राधिकार असाधारण है और इसे संयमपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। यह असीम नहीं है, और यद्यपि उच्च न्यायालयों ने इस शक्ति पर कुछ सीमाएँ स्वयं स्वीकार की हैं, तथापि यह स्पष्ट है कि यह सामान्य विधिक उपचारों का विकल्प नहीं हो सकता। न ही यह अपेक्षित है कि जहाँ तथ्यों का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना हो, वहाँ इस अधिकार का प्रयोग किया जाए। अतः उच्च न्यायालय सामान्यतः पीड़ित पक्ष को सामान्य विधि के अंतर्गत उपलब्ध

1 [1964] एस.सी.आर. 654

उपचारों का सहारा लेने के लिए छोड़ देता है, यदि वे समान रूप से प्रभावी हों, और वैधानिक उपचारों को दरकिनार किए जाने की अनुमति देने हेतु क्षेत्राधिकार ग्रहण करने से इंकार करता है। तथापि, इसके कुछ अपवाद भी हैं। ऐसा ही एक अपवाद तब होता है, जब किसी अवैध विधि के अंतर्गत या विधि के अनुमोदन के बिना मनमाने ढंग से कार्रवाई की जा रही हो। ऐसे मामले में, यदि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त त्वरित और अधिक प्रभावी उपाय के अभाव में किसी पक्ष को कठिनाई होना अवश्यभावी हो, तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। हमारे मत में वर्तमान मामला ठीक वैसी ही असाधारण स्थिति का उदाहरण है, जैसा कि *हिम्मतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य*⁽²⁾ में प्रतिपादित किया गया था, जो इस न्यायालय के समक्ष आया था।

जमशेदपुर के सहायक आयुक्त की शक्ति और क्षेत्राधिकार बिहार राज्य में उपभोक्ताओं को की गई बिक्री तथा अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गई बिक्री के संबंध में प्रयोग किए जा सकते थे। किंतु बिहार राज्य के बाहर की गई बिक्री पर कर लगाने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। अपीलकर्ता कंपनी ने बिहार राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों में स्थित अपने स्टॉकयार्डों से की गई बिक्री के संबंध में छूट का दावा किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार राज्य के बाहर की गई बिक्री पर कंपनी द्वारा कोई कर देय नहीं था। कंपनी ने यह भी दर्शाया कि ये बिक्री न तो बिहार राज्य में की गई थीं और न ही अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में थीं, क्योंकि ये किसी बिक्री अनुबंध के लिए विनियोजित नहीं थीं और न ही उन पर कोई आदेश पारित किया गया था। प्रश्न यह था कि विधि में क्या ऐसी बिक्री को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में की गई बिक्री या बाहरी बिक्री माना जा सकता है, बेशक कंपनी के दावे के अधीन। यह दिखाने के लिए कि प्रस्तुत दस्तावेजों से परे किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता थी, कुछ भी नहीं है; न ही यह आवश्यक था कि अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा यह सुझाव दिया जाए कि यह तथ्य का नहीं बल्कि विधि का प्रश्न बनने जा रहा है। यदि उच्च न्यायालय ने दस्तावेजों से प्रत्यक्ष रूप से यह विचार किया होता कि नमूना लेन-देन बिहार राज्य के बाहर की बिक्री को दर्शाते हैं और अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में नहीं हैं, तो यह निश्चय ही कार्रवाई की अनावश्यक बहुलता से बचाता और अधिक संतोषजनक होता। ऐसे में केवल दो तिमाहियों के लिए 1,73,00,000 रुपये के लगभग कर की मांग की गई थी। हम स्पष्ट रूप से इस मत के

हैं कि उच्च न्यायालय को इस मामले में क्षेत्राधिकार ग्रहण करना चाहिए था, कम से कम एक नियम जारी कर यह देखने के लिए कि सहायक आयुक्त का क्या कहना है। विवादित तथ्यों के निस्तारण की आवश्यकता पड़ सकती थी, किंतु जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी।

अतः हम उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हैं और प्रकरण को आगे की विचारण के लिए वापस भेजते हैं, ताकि सहायक आयुक्त अपीलकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत दावे के प्रत्युत्तर में विवरणी दाखिल कर सके। अपील स्वीकार की जाती है, परंतु लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

अपील स्वीकार की जाती है।

जी.सी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।